अमन समीर, भा०प्र०से०
जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा

सारण समाहरणालय, छपरा
(जिला खनन शाखा)

Aman Samir, I.A.S
District Magistrate, Saran, Chapra

E-mail ID:dm-saran.bih@nic.in   Phone 06152-240001(Office) 06152-24002 & 24005 (Residence)

पत्रांक–................................/एम०   दिनांक–............ अगस्त, 2025

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– प्रमुख समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सारण जिलान्तर्गत सोनपुर एवं सदर अनुमंडल अन्तर्गत दावारहित जब्त बालू की नीलामी हेतु आम सूचना प्रकाशित किया जाना है। संबंधित आम सूचना एवं निविदा पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अनुरोध है कि आम सूचना प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाए।

विश्वासभाजन
ह०/–
समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक–1185/एम०   दिनांक–08/08/2025

प्रतिलिपिः–

1. आई०टी० मैनेजर, सारण/प्रभारी पदाधिकारी, NIC सारण को सूचनार्थ एवं जिला प्रशासन के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
2. जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सारण को मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु संबंधित को निदेशित करना चाहेंगे।

8/8/25

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

सारण समाहरणालय, छपरा

(खनन शाखा)

सारण जिला के सदर अनुमण्डल अंतर्गत भंडारित दावारहित जप्त पीला बालू की नीलामी हेतु अल्पकालीन आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सारण जिला के सोनपुर एवं सदर अनुमण्डल अंतर्गत अवैध रूप से भंडारित दावारहित पीला बालू की आम नीलामी दिनांक- 27-08-2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से सारण समाहरणालय, छपरा स्थित सभागार में खुले डाक के माधयम से निर्धारित शर्तो के अधीन किया जाएगा। अपरिहार्य कारण से यदि निर्धारित तिथि को नीलामी नहीं होती है तो वैसी स्थिति में उक्त दावारहित जप्त बालू की नीलामी पुनः अगले कार्य दिवस को उपरोक्त निर्धारित स्थान एवं समय पर किया जाएगा।

अवैध जप्त पीला बालू के स्थल एवं मात्रा की विवरणी

क्र०	अनुमंडल का नाम	अंचल	जप्त बालू का स्थल	बालू की मात्रा (घनफीट में)	सुरक्षित जमा राशि (रू० में)
1	सोनपुर	सोनपुर	पहलेजा घाट	96202	1592144/-
2	सोनपुर	सोनपुर	डोमा घाट	224053	3708078/-
3	सोनपुर	सोनपुर	रहिमपुर	357968	5924371/-
4	सोनपुर	सोनपुर	एल०सी०टी० घाट	1141681	18894821/-
5	सोनपुर	सोनपुर	कल्लू घाट	628089	10394873/-
6	सोनपुर	सोनपुर	गंगाजल घाट	655285	10844967/-
7	सोनपुर	सोनपुर	सबलपुर (कुमार घाट)	1986872	32882732/-
8	सोनपुर	सोनपुर	छितूपाकर घाट	291965	4832021/-
9	सोनपुर	दिघवारा	मौजा कनकपुर हनुमान मंदिर के बगल में थाना नं०-08	149333	2471462/-
10	सदर	सदर	मकदुमगंज खाता संख्या-146 खेसरा संख्या-865, 911	622150	10296583/-

			K-4/21		
11	सदर	सदर	बदलपुरा खाता संख्या-270 खेसरा संख्या-688 K-6/21	1441300	23853515/-
12	सदर	सदर	चिरांद खाता संख्या-94 खेसरा संख्या-353, 351 K-8/21	579375	9588657/-
13	सदर	सदर	महराजगंज खाता संख्या-174 खेसरा संख्या-1655, 1657 K-24/21	1561300	25839515/-
14	सदर	रिविलगंज	सर्वे नं०-2120 मौजा-बह्मपुर, ग्राम+पो०-इनई, थाना-रिविलगंज	25,200	417060/-
15	सदर	सदर	कोटवापट्टी रामपुर (आरा-छपरा पुल के नीचे)	1,90,250	3148638/-
16	सदर	सदर	रायपुर बिन्दगाँवा टोला-बलवन टोला (सोन नदी के पश्चिम तट पर)	2,09,250	3463088/-
17	सदर	सदर	तिवारी घाट	2,21,325	3662929/-
18	सदर	सदर	कोटवापट्टी रामपुर (छपरा-भोजपुर सीमा)	75,000	1241250/-
19	सदर	सदर	मकदुमगंज मठिया से लेकर नदी के किनारे खलपुरा ग्राम	3,75,930	6221642/-

			तक		
20	सदर	सदर	शेरपुर सूर्य मंदिर के पास	1,01,260	1675853/-
21	सदर	सदर	ग्राम-खलपुरा	4,05,350	6708543/-
22	सदर	सदर	खवासपुर कला	3,05,240	5051722/-
23	सदर	सदर	दरियावगंज घाट पर	60,000	993000/-
24	सदर	सदर	सिंगही दियारा	20,99,650	34749208/-
25	सदर	सदर	डोरीगंज थानान्तर्गत	80,000	1324000/-
26	सोनपुर	सोनपुर	डोमवा घाट	4,60,000 (उजला बालू)	2875000/-
27	सदर	सदर	डोरीगंज महुआ घाट के पास	3,00,000	4965000/-
28	सदर	सदर	नगर तेलपा बड़ा अड्डा नं०-1	4,000	66200/-
29	सोनपुर	सोनपुर	सोनपुर रहीमपुर विश्वकर्मा मंदिर	15,000 (पीला बालू) 10,000 (उजला बालू)	248250/- 62500/-

आम नीलामी निम्न शर्त्तो के अधीन की जाएगीः-

1. डाकवक्ता को निर्धारित अग्रधन राशि के साथ हीं अपना **पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी०एस०टी० निबंधन की अभिप्रमाणित प्रति तथा खनन बकाया नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र देना होगा।**
2. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को **पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र में स्थाई पता अंकित** होना चाहिए, साथ हीं यह भी अंकित होना चाहिए कि उनके विरूद्ध संज्ञेय अपराध का मुकदमा दर्ज नहीं है। **उक्त आचरण प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से पूर्व का नहीं होना चाहिए।**

3. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/प्रतिष्ठान को डाक हेतु निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व संध्या 5 बजे तक सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप में खनिज विकास पदाधिकारी, सारण के पदनाम से मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा निर्गत छपरा में भुगतेय बैंक ड्राफ्ट एवं अन्य वांछित कागजात (कंडिकानुसार) जमा करना होगा।

4. सफल डाकवक्ता को डाक की तिथि से एक सप्ताह के अंदर पीला बालू के लिए 1655/- प्रति 100 घनफीट एवं उजला बालू के लिए 625/- प्रति 100 घनफीट तथा अन्य देय कर की संपूर्ण राशि का भुगतान (अग्रधन की राशि समायोजित करते हुए) करना होगा। इसके पश्चात ही कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

5. सफल डाकवक्ता को कार्यान्वयन तिथि से अधिकतम एक महिना या 30 दिनों के अंदर भंडारित स्थल से बालू हटा लेना होगा एवं संपूर्ण बालू उठाव होने तक इस अवधि में डाक में प्राप्त बालू के कस्टोडियन सफल (उच्चतम) डाकवक्ता ही रहेंगे। स्थल से बालू आदि चोरी होने की कोई जबावदेही अधोहस्ताक्षरी की नहीं होगी।

6. सफल डाकवक्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर संपूर्ण राशि जमा करने में असफल रहने की स्थिति में उनकी अग्रधन की राशि जब्त करके पुनः नये सिरे से नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।

7. पूर्व से भंडारित बालू में किसी अन्य श्रोत से बालू लाकर नहीं मिलाया जाएगा।

8. डाक राशि का नियमानुसार (प्रचलित दर से) जी0एस0टी0 कर का भुगतान करना होगा एवं उसका प्रमाण पत्र जिला खनन कार्यालय में दाखिल करना होगा।

9. नीलामधारी को आयकर अधिनियम के तहत 2.06 प्रतिशत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान एक मुश्त करना होगा, जिसे आयकर मद में जमा करा दी जाएगी।

10. सफल डाकवक्ता को बन्दोबस्ती राशि की 2 प्रतिशत राशि बालू खनन क्षेत्रों के पुनरूद्धार एवं पुनर्वास हेतु गठित जिला खनिज फाउन्डेशन, सारण, छपरा के नाम से छपरा में भुगतेय बैंक ड्राफ्ट कार्यादेश निर्गत की तिथि के पूर्व जमा करना होगा। इस राशि का उपयोग जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला खनिज फाउन्डेशन द्वारा किया जाएगा।

11. नीलामधारी को बालू के परिवहन हेतु वाहन के चालक को खनन विभाग द्वारा निर्गत प्रीपेड ई०-चालान निर्गत करना होगा जिसमें बालू की मात्रा एवं राशि भी अंकित रहेगी।

12. उत्तोलित बालू के लिए विहित प्रपत्र में साप्ताहिक विवरणी जिला खनन कार्यालय, सारण छपरा में दाखिल करना होगा एवं बालू प्रेषण के लिए नियमानुसार पंजी संधारित करनी होगी।

13. प्रेषण के स्थल पर साइनबोर्ड लगाना होगा जिसमें नीलामधारी का नाम पता, नीलामी अवधि, स्थानीय प्रबंधक का नाम, पता एवं विक्रय मूल्य अंकित होगा।

14. नीलामधारी को बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली), 2019 के नियमों एवं शर्तो तथा पर्यावरणीय प्रावधानों का पालन करना होगा।

15. श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों की सुविधा के लिए विश्राम, शेड, पेयजल, आदि की व्यवस्था करनी होगी।

16. नीलामधारी को समाहर्ता द्वारा बालू प्रेषण के संचालन के संबंध में जनहित में दिये गये अन्य निदेशों का पालन करना होगा।

17. उपर्युक्त शर्तो एवं अन्य सरकारी नियमों का पालन नहीं करने पर डाक रद्द करने का संपूर्ण अधिकार समाहर्ता को सुरक्षित रहेगा।

18. मार्ग व्यवधान, सीमाना से संबंधित कोई व्यवधान अथवा अन्यान्य कारण से बाधा उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।

19. डाकवक्ता उपर्युक्त विभिन्न घाट/स्थल पर भंडारित बालू का मात्रा एवं गुणवत्ता का आकलन स्वयं स्थल भ्रमण द्वारा कर लेंगे। नीलामी के पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं

होगा।

20.नीलामी से संबधित किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा CLARIFICATION के लिए खनिज विकास पदाधिकारी (मो0 नं0-8084840388) से संपर्क किया जा सकता है।

21.अपरिहार्य कारण से किसी भी समय निविदा को रद्द करने का अधिकार समाहर्त्ता को सुरक्षित रहेगा।

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

सारण जिले के घाट/स्थल पर भण्डारित दावा रहित जप्त बालू के नीलामी का निविदा प्रपत्र।

चयनित दावा रहित बालू भण्डारण स्थल का निविदा में अंकित क्रमांक ....
एवं स्थल का नाम ....

1.	नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/कम्पनी का नाम	
2.	भाग लेने वाले व्यक्ति के पिता/पति का नाम (कंपनी की स्थिति में कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर)	
3.	स्थायी पता	
4.	स्थानीय पता / वर्त्तमान पता	
5.	सम्पर्क सूत्र (Contact No.)	
	दूरभाष संख्या	
	मोबाईल नं०	
	ई–मेल	
	फैक्स नं०	
6.	पैन कार्ड संख्या (छायाप्रति संलग्न करें)	
7.	आधार कार्ड संख्या (छायाप्रति संलग्न करें)	
8.	जी०एस०टी० निबंधन संख्या (छायाप्रति संलग्न करें)	
9	स्वामिस्व(ROYALTY) स्वच्छता प्रमाण/संबंधित शपथ पत्र संख्या/ दिनांक	
9.	सरकारी प्रतिष्ठान का नाम एवं पता जिसका कार्य कर रहे हैं (यदि उससे संबंधित हैं)	
10.	निबंधित ठेकेदार है तो निबंधन संख्या (प्रति संलग्न करें)	
11.	निविदा हेतु चयनित दावा रहित बालू भण्डारण का ग्राम / स्थल का विवरण :–	अग्रधन के रूप में सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत राशि का का भुगतान बैंक ड्राफ्ट संख्या, तिथि एवं निर्गत बैंक का नाम

क्र०	स्थल का नाम विज्ञापन के अनुसार	सुरक्षित जमा राशि(रूपये में)	

नोट :– (क) पैन कार्ड आधार कार्ड, जी०एस०टी० निबंधन ठेकेदारी निबंधन से संबंधित साक्ष्यों की स्वअभिप्राणित प्रति संलग्न करें। (ख) खनन संबंधी बकाया रहित शपथ पत्र मूल में संलग्न करेगें। (ग) निविदा आवेदन एवं संलग्न कागजात बंद लिफाफे में जिला खनन कार्यालय, सारण में जमा करेंगें।

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सभी बातें सत्य है तथा इसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ।

निविदादाता का पूर्ण हस्ताक्षर
नाम :–

स्थान –

पदनाम :–

दिनांक –

मोबाईल नं०:–